ग्राम पंचायत मनियाला, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के

1 (क) प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मनियाला, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान:-

1	श्री सुरेश चंद	1-3-2013 से 22-1-2016
2	श्रीमति अंजना कुमारी	23-1-2016 से लगातार

सचिव:-

1	श्री महेश शर्मा	1-4-2013 से 21-6-2013
2	श्री परदीप कुमार	22-6-2013 से लगातार

(ख) <u>गम्भीर अनियमितताओं का सार</u>:-

ग्राम पंचायत मनियाला के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

<u>क्र०सं०</u>	<u>पैरा सं०</u>	<u>अनियमितताओं का संक्षिप्त सार</u>	<u>राशि लाखो में</u>
1	8	अनुदान उपयोग न करना	11.12
2	9	प्राप्त अनुदानों की राशि से अधिक व्यय	3.86
3	15	Assessmenकार्य मूल्यांकन (Assessment) के बिना भुगतान करना	6.02
4	16	पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गयी मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना	4.46

2 <u>वर्तमान अंकेक्षण</u>:-

ग्राम पंचायत मनियाला , विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 4/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह , अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 1-10-2016 से 10-10-2016 तक खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013-14	3/2014	9/2013
2014-15	2/2015	12/2014
2015-16	12/2015	6/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

३ <u>अंकेक्षण शुल्क</u>:-

ग्राम पंचायत मनियाला ,विकास खण्ड परागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7000/- बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिoप्रo) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 240/2016 दिनांक 5-10-2016 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4 <u>वितीय स्थिति</u>:-

ग्राम पंचायत मनियाला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

(1) **<u>स्व स्त्रौत :-</u>**ग्राम पंचायत मनियाला के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	115241	52149	167390	23905	143485
2014-15	143485	40661	184146	10604	173542
2015-16	173542	32312	205854	8874	196980

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत मनियाला के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	420643	1903132	2323775	1737178	586597
2014-15	586597	902488	1489085	1116054	373031
2015-16	373031	2346807	2719838	1607970	1111868

5 <u>बैंक समाधान विवरणी</u>:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत मनियाला द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना मे मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं की जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2016 को निम्नानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खातों में ₹28600 का अंतर था। अत: पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खातों से मिलान कर के अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

1 रोकड़ वही खाता क पैरा 4(1) का अन्तशेष 196980
2 रोकड़ वही खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष 1111868

योग 1308848

<u>अन्तशेष का विवरण:-</u>दिनांक 31-03-2016 को अंत शेष का विवरण निम्नानुसार था ।

क्र संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	के. सी.सी. बैंक परागपुर	20073032813	1170489
2	के. सी.सी. बैंक परागपुर	50056047408	42501
3	के. सी.सी. बैंक परागपुर	50056047362	13976
4	के. सी.सी. बैंक परागपुर	50056047431	19163
5	के. सी.सी. बैंक परागपुर	50056047464	886
6	के. सी.सी. बैंक परागपुर	50056046743	44956
7	के. सी.सी. बैंक परागपुर	50056047351	1157
8	के. सी.सी. बैंक परागपुर	9700100000668	4117
9	के. सी.सी. बैंक परागपुर	50051076546	37424
10	के. सी.सी. बैंक परागपुर	50056597804	2115
		<u>Total</u>	**<u>1336784</u>**

Cash In Hand

General Cash Book	664
MNREGA	Nil
IWMP	Nil
Grand Total	**1337448**

अंतर 1337448-1308848=₹28600

6 निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये ।

7 पंचायत राजस्व की वसूली :-

पंचायत सचिव मनियाला द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2016 तक पंचायत राजस्व गृहकर की ₹29150 वसूली हेतु शेष थी।

1 गृहकर

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	NIL	10025	10025	2150	7875
2014-15	7875	10025	17900	0	17900
2015-16	17900	11250	29150	0	29150

(2).हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भत्ते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया

गया। अत: गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

8 <u>अनुदान ₹11.12 लाख का उपयोग न करना;-</u>

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹1111868 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

9 <u>प्राप्त अनुदानों की राशि से ₹3.86 लाख का अधिक व्यय</u>

सचिव ग्राम पंचायत मनियाला द्वारा उपलब्ध करवाए गये आंकड़ो तथा वितीय स्थिती के अनुसार MNREGA,GRDY,MPLAD,PS,ZP में दिनांक 31-03-2016 को निम्नानुसार रुपये की राशि ₹385699 ऋणात्मक दर्शाई गयी है जोकि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन MNREGA, GRDY, MPLAD, PS, ZP में अथवा किसी अन्य योजना से MNREGA, GRDY, MPLAD, PS, ZP का भुगतान करने के फलस्वरूप है। इस चूक का नियमानुसार निराकरण सुनिशचित करते हुए अनुपलना से अवगत करवाएं।

1	MNREGA	18
2	GRDY	72249
3	MPLAD	48263
4	PS	46587
5	ZP	218582
	योग	**₹385699**

10 <u>सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना:-</u>

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में

अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्वि नियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारि यों के ध्यान में लाया जाता है।

11 <u>Assessmentकार्य मूल्यांकन (Assessment) के बिना भुगतान करना :-</u>

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस - 17/2002-आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता की assessment के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा। परन्तु जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** पर लगाये गये विवरण के अनुसार पंचायत द्वारा ₹601950 का भुगतान assessment के बिना किया गया। अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टिकरण प्रस्तुत करते हुए assessment के बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए।

12 <u>IWMP लाभार्थिओं से प्राप्त होने वाले भाग के बारे में :-</u>

परियोजना निदेशक जिला जलागम विकास अभिकरण , काँगड़ा स्थित धर्मशाला के पत्र क्रमांक 336-393 दिनांक 4/7/2012 के अनुसार "वाटरशेड परियोजना के लिए गांवों का चयन हेतु अनिवार्य शर्त वाटरशेड विकास निधि में लोगों द्वारा अंशदान किया जाना है। वाटरशेड विकास निधि में अंशदान केवल निजी भूमि पर निष्पादित एन आर एम कार्यों की लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत होगा तथापि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमान्त किसानों के मामले में न्यूनतम अंशदान 5 प्रतिशत की गयी। इसके अतिरिक्त निजी भूमि पर अन्य लागत सघन कृषि प्रणाली कार्यकलापों जैसे मत्स्य पालन, बागबानी, कृषि, वानिकी, पशु पालन इत्यादि जैसे आजीविका सम्बन्धित किसानों को सीधे फायदा होता तो उनके लिए सामान्य वर्ग के किसानों का अंशदान 20 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थिओं का अंशदान 10 प्रतिशत होगा। निजी भूमि पर निष्पादित करवाए गये कार्यों से प्राप्त अंशदान की सुचना उ पलब्ध नहीं करवाई गयी जिसकी जाँच अपने सतर पर करके अंशदान की वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाये।

13 <u>अदायगी आदेश(पे आर्डर) के बिना भुगतान करना ;-</u>

ग्राम पंचायत के भुगतान वाउचरों की जाँच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 49(1)व (2) के अनुसार पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिए नकद मे या चैक द्वारा कोई भी संद्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि यह पंचायत के प्रधान और पंचायत के सचिव द्वारा

शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए सयुंक्तत; हस्ताक्षरित अदायगी धारित नही करता है। जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा संयुक्त भुगतान आदेशों के बिना ही भुगतान किया गया जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अत; नियमों के विपरीत भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए ।

14 <u>मापन पुस्तिकाओं (Measurement Books) का सत्यापन न करना :-</u>

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भत्ते] नियम 2002 के नियम 104(2)(।)से (।v) के अनुसार ग्राम पंचायत मनियाला की मनरेगा अनुदान के अंतर्गत करवाए गये कार्यों मूल्यांकनों की मापन पुस्तिकाएं तकनीकी सहायकों द्वारा लिखी गयी परन्तु मापन पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं किया गया और न ही test check किया गया। अत: उक्त के अभाव में मुल्यांकन तथा भुगतान का ओचित्य स्पष्ट किया जाए ।

15 <u>मस्टरोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करवाना:-</u>

पंचायत मनियाला द्वारा लाखों रुपये के निर्माण कार्य करवाए गये तथा उन्हें मस्टरोल पर भुगतान किया गया परन्तु हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(1) तथा 108 के अनुसार इन कार्यों के मस्टरोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से नियमानुसार सत्यापन नहीं करवाया गया। अत: उक्त के अभाव में भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए !

16 <u>पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गयी मदों को स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करना;-</u>

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (A)(v।) में पंचायत निर्माण कार्यों के लिए स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट 3 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹446388 के स्टॉक/स्टोर का क्रय पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए किया गया, जिसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया । जाँच में यह भी पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी मदों का क्रय बिना निविदाएँ आमंत्रित किए किया गया है। अत; बिना निविदाओं के निर्माण सामग्री का क्रय करने तथा सामग्री को भण्डार रजिस्टर में दर्ज न करने बारे वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार निर्माण सामाग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

17 <u>विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना</u> :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था , जोकि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक समाधान विवरणी	15(1)	
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
6	मांग एवम् प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवम अस्थाई भंडार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
10	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अत: इन अभिलेखों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 <u>प्रत्यक्ष सत्यापन</u> :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

19 **<u>लघु आपति विवरणिका</u>:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

20 **निष्कर्ष:-** ग्राम पंचायत द्वारा विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना लेखे के प्रति उदासीनता को ही दर्शाता है जिसे विशेषरूप से उच्च अधिकारि यों के ध्यान में लाया जाता है ।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 69/2016–खण्ड–1–1373–1376 दिनाँक :06.03.2017
शिमला–171009,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत मनियाला, विकास खण्ड प्रागपुर, तहसील प्रागपुर, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड प्रागपुर, तहसील प्रागपुर, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.